न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय)–सीकर

उनवान– जगदेव सिंह बनाम अनिल

किस्म मुकदमा– वाद

मु.नं0– 20 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र
25.04.2023	पत्रावली आज दिनांक तारीख से पूर्व राज्य सरकार के मंहगाई राहत कैम्प–2023 के दौरान कैम्प ग्राम जेरठी में पेश हुई। कैम्प के दौरान पक्षकारान के वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान प्रति0सं0 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने पर वकील वादी द्वारा आवेदन स्वीकार करने पर सहमति प्रदान करने पर आवेदन पत्र बाबत एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने स्वीकार किया गया। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रतिवादी सं0 1 ता 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया । साथ ही वकील वादी एंव प्रति0सं0 1 ता 3 ने बहस के दौरान उभय पक्ष को पाबन्द करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम अजीतपुरा तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 606/311 रकबा 1.2800 है0 वादी के खातेदारी कब्जे व काश्त की भूमि है तथा प्रति0सं0 1 ता 7 के खातेदारी कब्जे व काश्त की आराजियात ख0नं0 309 रकबा 0.6600 है0 ख0नं0 312 रकबा 0.0200 है0 ख0नं0 313 रकबा 1.6600 है0 ख0नं0 314 रकबा 1.0900 है0 ख0नं0 576/310 रकबा 0.8900 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.3200 है0 तन ग्राम अजीतपुरा तहसील धोद व जिला सीकर में अवस्थित है। वादी के आराजी ख0नं0 606/311 के पश्चिम में व प्रति0सं0 1 ता 7 की आराजी ख0नं0 576/310 व ख0नं0 312 व 313 के पूर्व में आराजी ख0नं0 575/310 रकबा 0.0500 है0 स्थित है। उक्त आराजी ख0नं0 575/310 रास्ते के रूप में मौजूद है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते की भूमि ख0नं0 575/310 के रूप में अपना अधिकार बताते हुए उस पर इन्टरलोक लगाने पर आमादा होना बताते हुए प्रतिवादीगण को वादी की भूमि ख0नं0 606/310 रकबा 1.2800 है0 तन ग्राम अजीतपुरा के किसी भी भाग की भूमि पर जबरन कब्जा करने व उस पर निर्माण करने या तारबंदी करने या इन्टरलोक लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होना बताकर उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वाद पेश किया है। चूंकि वादी द्वारा मुख्य रूप से आराजी ख0नं0 606/310 रकबा 1.2800 है0 तन ग्राम अजीतपुरा की पश्चिमी सींव पर किसी प्रकार का कब्जा करने,कच्चा–पक्का निर्माण करने व उस पर इन्टरलोक लगाने व तारबंदी करने से वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल देने से व वादी को बेदखल करने से पाबन्द करना चाहा है। इसलिए पक्षकारान के मध्य उक्त विवाद को देखते हुए उभय पक्ष को संयुक्त रूप से पाबन्द किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वादी एंव प्रति0सं0 1 ता 7 अपनी–अपनी भूमि की सींव–नींव में कायम रहे, एक दूसरे के हिस्से की भूमि में दखलदांजी न करे व अपने–अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण न करे व बाधा न डाले । पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर